कार्यालय प्रमुख अभियंता

म.प्र. लोक निर्माण विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
Website: www.mppwd.nic.in email: pwdbhop@mp.nic.in
Phone: 0755-2551485, Fax: 0755-2556527

क्रमांक / .... / संचार / 12 / 2397 भोपाल, दिनांक 29 / 08 / 2012

प्रति,

समस्त अधीक्षण यंत्री

लोक निर्माण विभाग,................मण्डल

मध्यप्रदेश।

विषयः- परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत आने वाले मार्गो के समुचित रख-रखाव एवं मरम्मत के संबंध में।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में एवं समीक्षा बैठकों में परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत आने वाले मार्गो के समुचित रख-रखाव एवं तुरंत मरम्मत हेतु कई बार निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत आने वाले सभी मार्गो का निरीक्षण अधीक्षण यंत्रियों द्वारा 10 दिवस की समयावधि में किया जाये तथा मार्गो के रख-रखाव/ मरम्मत के [illegible] में ठेकेदारों को लिखित में विस्तृत निर्देश जारी किये जायें ताकि ठेकेदारों द्वारा निर्देशानुसार मार्गो के मरम्मत का कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाये। ठेकेदारों को मार्गो के मरम्मत हेतु आवश्यकतानुसार समयावधि दी जाये तथा इस समयावधि में यदि ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार मार्गो का मरम्मत का कार्य नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार निलंबन/निचली श्रेणी में अवनत करना/पंजीयन का रदद करना /काली सूची में डालना की कार्रवाई की जाये तथा मरम्मत का कार्य उनके अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों के हर्जे-खर्चे पर करवाया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी सड़कों की मरम्मत अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से प्रारंभ करवा ली जाये, तथा दी गई समयावधि में कार्य आवश्यकरूप से पूर्ण कराया जावे।

इस संबंध में अधीक्षण यंत्रियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से विस्तृत प्रतिवेदन प्रत्येक सड़क का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 12-9-2012 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / .... / संचार / 12 / 2397 भोपाल, दिनांक 29 / 08 / 2012

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
3. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग , परिक्षेत्र...................... मध्यप्रदेश।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग...................... मध्यप्रदेश।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश